

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 471

Grants Commission (UGC).

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25-दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th November 2006

No. F.9-37/2004-U.3(A).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare the Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut (Uttar Pradesh) as Deemed to be University under De-novo category for the purpose of the aforesaid Act from the date the Institute disaffiliates itself from U.P. Technical University, Lucknow (Uttar Pradesh), provisionally, for a period of five years subject to an annual review by an Expert Committee of UGC. After the period of five years, the 'Deemed to be University' status conferred upon the Institute shall be reviewed by a Review Committee to be appointed by the University

- 2. This declaration is subject to conditions mentioned at S. No. 5 of the endorsement of this notification.
- Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to Shobhit Institute of Engineering and Technology, Meerut (U.P.) or any of its constituent institutions.



साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2006 (अग्रहायण 4, 1928)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2006 (AGRAHAYANA 4, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

> मानव संसाधन विकास नंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2006

सं. एफ. 9-37/2004-यू.3 (ए) --विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, शोधित इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजोनियरिंग एंड टेकनोलॉजी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) को एतद्द्वारा अस्थाई रूप से पांच वर्ष की अविध के लिये उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नई श्रेणी के तहत उपरोक्त इन्स्टीट्यूट के यू.पी. तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह द में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की वार्षिक समीक्षा के शतार्थीन होगा एपाच वर्ष की अविध के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त व परीक्षा समिति इस इन्स्टीट्यूट को प्रदान किए गए सम विश्वविद्यालय के दर्ज की समीक्षा करेगी।

- (2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
- (3) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शोभित इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेकनोलॉजी, मेरठ (उत्तर प्रदेश) अथवा इसके किसी भी संघटक संस्थाओं को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।